प्रेस नोट दिनांक 10.03.2026

थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

थाना कन्धई पुलिस द्वारा मोबाइल झपटमारी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 08.11.2025 को वादी निवासी शिवगढ़ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़, जो साइकिल से घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान ग्राम बहेलियापुर रोड के पास मोबाइल से बात करते समय पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना कन्धई पर मु0अ0सं0 260/25 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कन्धई श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में थाना कन्धई के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का0 छत्रपाल द्वारा कैफ रिपोर्ट व मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मौलानी में संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम 1. देवेन्द्र कुमार उर्फ देवा पुत्र कृष्णा प्रसाद उर्फ छोटके निवासी ग्राम मौलानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया।

तलाशी के दौरान अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उर्फ देवा के कब्जे से 01 अदद मोबाइल आईटेल कम्पनी बरामद हुआ, जिसे अभियुक्त ने दिनांक 08.11.2025 को बहेलियापुर बेलसंडी के पास एक युवक से झपट्टा मारकर छीनना स्वीकार किया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. देवेन्द्र कुमार उर्फ देवा पुत्र कृष्णा प्रसाद उर्फ छोटके निवासी ग्राम मौलानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी-
01 अदद मोबाइल बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का0 छत्रपाल थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गोवध निवारण अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त रामसुन्दर को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिनैका बन्द कोल्ड स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त रामसुन्दर पर जनपद प्रतापगढ़ में हत्या का प्रयास, डकैती का प्रयास, गोवध निवारण अधि0, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

प्रतापगढ़।
दिनांक 04.09.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम कोपा थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र में सड़क किनारे पुलिया के पास 15 बोरों में लगभग साढ़े सात कुंतल गोवंशीय मांस बरामद किया गया। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह प्रकाश में आया कि अज्ञात अभियुक्तगण गोवंशीय पशुओं का अवैध वध कर मांस को अन्य प्रांतों में बेचकर लाभ अर्जित करते हैं। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0स0 217/21 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 429 भादवि बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 अवधराज यादव मय हमराह उ0नि0 शिवम त्रिपाठी,का0 अजीत चौहान, का0 नन्दकिशोर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0स0 217/21 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ से संबंधित 01 रामसुन्दर पुत्र सन्तराम नि०ग्रा0 डेईडीह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिनैका बन्द कोल्ड स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामसुन्दर पुत्र सन्तराम नि0ग्रा0 डेईडीह धौरहरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 31 वर्ष।

आपराधित इतिहास-
01. मु0अ0सं0 256/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 254/20219 धारा 307,399,402 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 227/2021 धारा 102बी, 147, 148,149, 307 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0स0 217/21 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अवधराज यादव मय हमराह उ0नि0 शिवम त्रिपाठी,का0 अजीत चौहान, का0 नन्दकिशोर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

सड़क दुर्घटना को हत्या दर्शाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने व परिजनों को धमकाकर धन उगाही करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

एक्सीडेंट को हत्या बताकर झूठा मुकदमा लिखवाने वाला गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा जबरन वसूली व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के अभियोग में एक अभियुक्त रामचन्दर गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2026 की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक ढंग से संपादित की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की मृत्यु मोटरसाइकिल के विद्युत पोल से टकराने के कारण हुई सड़क दुर्घटना से हुई है तथा नामजद अभियुक्तों की घटना में किसी प्रकार की संलिप्तता के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, जिससे धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट का लोप पाया गया। साथ ही विवेचना के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, जबरन वसूली करना, झूठा मुकदमा लिखवाना एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देना पाया गया, जिसके संबंध में धारा 61(2)/221/223/308(6) बीएनएस का अपराध होना पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 विवेक कुमार यादव, का0 हैप्पी बाबू, का संतोष कुमार यादव व का0 अवधेश यादव, म0का0 सौम्या यादव मय चालक हे0का0 राधेकृष्ण द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0सं0 36/2026 धारा 61 (2)/221/223/308 (6) BNS थाना कोहंडौर प्रतापगढ से संबंधित 01 रामचन्दर पुत्र रामनरेश निवासी

ग्राम धन्नीपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैने कुछ दिन पहले ही अपने लड़के की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने पर शव को रखकर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हुए पुलिस की कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न किया और एक्सीडेंट की घटना को हत्या बताकर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिन लोगों का मैने मुकदमें में नाम लिखवाया था, उनके परिजनों को धमका कर रुपयों की मांग किया था कि मुझे रुपये दे दो, नही तो तुम्हारे घर के लोगों को मुकदमें में फंसा दूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रामचन्दर पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम धन्नीपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ हुलिया आँख,नाक, कान, कद औसत इकहरा जिस्म रंग सांवला, उम्र करीब 50 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 विवेक कुमार यादव, का0 हैप्पी बाबू, का संतोष कुमार यादव व का0 अवधेश यादव, म0का0 सौम्या यादव मय चालक हे0का0 राधेकृष्ण थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करैनी महमदपुर भाव रोड, नहर पुलिया रोड ग्राम सराय बबुइन के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण –
आरोपी ससुरालीजन द्वारा वादी निवासी अरुऑव, थाना होलागढ़ जनपद-प्रयागराज की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करना तथा दिनांक 19.01.2026 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री को जान से मार दिया गया। जिसमे वादी की तहरीर के आधार पर पर थाना बाघराय पर मु0अ0सं0 54/2026 धारा 85/80(2)/352/351 (3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व

क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह का0 सन्दीप कुमार, हो0गा0 अशोक कुमार पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 54/2026 धारा 85/80(2)/352/351 (3) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना बाघराय प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्तों 1.भोला पटेल पुत्र राम सजीवन पटेल निवासी साहू की चरही महमदपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 32 वर्ष, 2.राम सजीवन पटेल पुत्र स्व0 ननकू राम पटेल निवासी साहू की चरही महमदपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 3.सुभाष पटेल पुत्र राम सजीवन समस्त निवासी साहू की चरही महमदपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 25 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करैनी महमदपुर भाव रोड, नहर पुलिया रोड ग्राम सराय बबुइन के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. भोला पटेल पुत्र राम सजीवन पटेल निवासी साहू की चरही महमदपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 32 वर्ष।

02. राम सजीवन पटेल पुत्र स्व0 ननकू राम पटेल निवासी साहू की चरही महमदपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

03. सुभाष पटेल पुत्र राम सजीवन समस्त निवासी साहू की चरही महमदपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र 25 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह का0 सन्दीप कुमार, हो0गा0 अशोक कुमार पाण्डेय थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद– प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस व महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में डकैती के अभियोग संबंधित 01 अभियुक्त सलमान पुत्र सैयद गिरफ्तार-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत धनगढ़ चौराहे से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.03.2026 को थाना संग्रामगढ़ पुलिस व महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही में थाना अलीबाग जनपद रायगढ़ महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2026 धारा 310

(2)/310 (5)/311/127(2)/137 (2)/351 (3)/131/61 (2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त सलमान पुत्र सैयद शेख ग्राम धनगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सलमान पुत्र सैयद शेख ग्राम धनगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
थाना संग्रामगढ़ पुलिस व सहायक पुलिस निरीक्षक हनुमन्त सिन्दे मय हमराह एचसी 1378 वाणी, पीसी 2266 डिसले महाराष्ट्र पुलिस।